समाहरणालय, रामगढ़ (उत्पाद शाखा)

बन्दोबस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए रामगढ़ जिला की मदिरा की खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती हेतु इस कार्यालय से निर्गत बिक्री अधिसूचना ज्ञापांक–190 / उ0 दिनांक–11.02.2016 (पुनः ज्ञापांक–229 / उ0 दिनांक–19.02.2016 द्वारा यथा संशोधित) के आलोक में दिनांक–09.03.2016 को सम्पन्न बंदोबस्ती के उपरांत शेष अबंदोबस्त रह गये **समूह संख्या – 7, 8, 9, 11 एवं 12** के अन्तर्गत कुल 15 (पंद्रह) खुदरा उत्पाद दुकानों की उक्त बिक्री अधिसूचना में उल्लेखित समूहों की बंदोबस्ती **दिनांक – 19.03.2016 को 03.00 बजे अपराह्न** में समाहरणालय सभा कक्ष रामगढ़ में आवेदन के आधार पर लॉटरी के माध्यम से योग्य आवेदकों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा। बंदोबस्ती हेतु पात्रता, शर्त्ते एवं बंधेज उक्त बिक्री अधिसूचना (यथा संशोधित) के अनुरूप होगी।

इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार अपना आवेदन "ऑन लाईन विधि" से वेबसाईट **jhr.nic.in/exciselottery** पर **Login** कर समर्पित कर सकते है एवं आवेदन शुल्क ऑन लाईन आवेदन समर्पित करने के उपरांत अगले 01 (एक) बैंक कार्य दिवस तक बैंक में जमा कर सकते है। इसके अतिरिक्त इच्छुक उम्मीदवार "ऑफ लाईन विधि" से भी अर्थात जिला उत्पाद कार्यालय में विहित प्रपत्र में वांछित आवेदन शुल्क के साथ आवेदन समर्पित कर सकते है।

बन्दोबस्ती की तिथि (बन्दोबस्ती स्थल–समाहरणालय सभाकक्ष, रामगढ़)	आवेदकों हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि	आवेदको हेतु ऑफ लाईन विधि (अर्थात उत्पाद कार्यालयों में विहित प्रपत्र मे आवेदन शुल्क के साथ) कार्यालय अवधि 10.00 AM से 5.00 PM तक आवेदन समर्पित करने तथा ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि	बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र 127 क) में निहित शर्त्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत वांछित कागजात एवं आवेदन शुल्क के साथ विहित प्रपत्र में ऑफ लाईन आवेदन समर्पित करने का स्थान
19.03.2016	17.03.2016	18.03.2016	कार्यालय सहायक आयुक्त उत्पाद समाहरणालय, हजारीबाग

बन्दोबस्ती संबंधी आवेदन पत्र, आवश्यक शपथ पत्र का प्रारूप एवं बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र–127 'क') का अवलोकन झारखंड सरकार के वेबसाईट **www.jharkhand.gov.in** पर किया जा सकता है तथा सहायक आयुक्त उत्पाद, रामगढ़ के हजारीबाग समाहरणालय स्थित कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है अथवा हेल्प डेस्क नं0 08292321719 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उपायुक्त
रामगढ़।

ज्ञापांक 322 / उ0 हजारीबाग, दिनांक 12.03.2016

प्रतिलिपि–1. आयुक्त उत्पाद, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ।

2. उपायुक्त उत्पाद (मुख्यालय), झारखंड, रॉची / उपायुक्त उत्पाद, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ।

3. पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ।
4. अधिशासी पदाधिकारी, छावनी परिषद, रामगढ़ /अध्यक्ष, कैन्टोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ को सूचनार्थ।
5. उप विकास आयुक्त, रामगढ़/अपर समाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ।
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं रामगढ़ जिला के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी /जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC) रामगढ़ को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार प्रसारार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि उक्त बिक्री अधिसूचना को कार्यालय के सूचनापट्ट पर सर्वसधारण के जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाए।
7. सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
8. जिले के सभी उत्पाद पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि इस बिक्री अधिसूचना का वृहद प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक आवेदकों को आवेदन देने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।
9. उपायुक्त के कार्यालय अधीक्षक, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं इस बिक्री अधिसूचना को कार्यालय सूचनापट्ट पर चिपकाने हेतु प्रेषित।

3/16

उपायुक्त
रामगढ़।